फरवरी 2023
वर्ष 37 *संख्या* 2
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

केंद्रीय बजट 2023–'24

सामाजिक क्षेत्रों के प्रति निर्मम कटौती और जन सरोकारों की अपराधिक उपेक्षा

अपने दूसरे कार्यकाल में प्रस्तुत अंतिम बजट में, मोदी नीत आरएसएस–बीजेपी की सरकार ने जनता के सरोकारों की पूरी तरह से अवहेलना करना जारी रखा है और अमीर तबकों विशेषकर कॉरपोरेट के हितों की सेवा की है है। कॉरपोरेट नियंत्रित कथित मुख्य धारा के मीडिया द्वारा बजट का मुख्य रूप से स्वागत किया गया है जो आरएसएस–भाजपा द्वारा कॉरपोरेट की सेवा का ही सबूत है। सरकार ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुद को शाबाशी दी , जबकि हमारा देश जल्द ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की राह पर है। ऐसा दावा भारतीय शासकों के केवल कुटिल स्वभाव को ही दर्शाता है।

करों में पूरे साल भर वृद्धि, आंकड़ों की हेराफेरी और तथ्याभें के साथ खिलवाड़, और कल्याणकारी योजनाओं पर बड़े बड़े वायदे करना परंतु उन पर अमल न करना व केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए वायदे करने से बज़ट का महत्व वैसे ही पहले से ही कम हो गया है। सामाजिक क्षेत्रों के लिए वर्ष दर वर्ष आबंटन जो वैसे ही बहुत कम है, को भी खर्च नहीं किए जाता जैसा कि संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों से पता चलता है। यहां तक कि बजट अनुमान भी सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च में कमी की दुखद कहानी बयां करते हैं; ऐसा व्यय पिछले 15 वर्षों में पहली बार कुल व्यय के 20 प्रतिशत से कम हो गया है (यह केवल 18 प्रतिशत है)। आरएसएस–बीजेपी सरकार और शासक वर्ग के बड़े–बड़े दावे आम तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के घटते सूचकांकों से फुस हो जाते हैं। अपने–अपने ढोल पीटना देश में शासकों और लोगों के बीच की दूरी को दर्शाता है।

मैक्रो–इकोनॉमिक स्तर पर आर्थिक स्थिति वृद्धि की गिरावट से चिह्नित होती है। लोगों को रोजगार देने वाले सबसे बड़े कृषि और विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 'व्यापार करने में आसानी' के नाम पर सरकार वर्षों से कामगारों के अधिकारों को कम कर रही है, करों में छूट और उन्हें देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की अनुमति देकर विदेशी पूंजी के निवेश के स्वागत को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इन सभी उपायों के बावजूद, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, रूस से सस्ते कच्चे तेल की उपलब्धता से स्थिति को आंशिक रूप से कुछ समय के लिए राहत मिली है। हालांकि इसका फायदा

(आगे पृष्ठ 6 पर)

संयुक्त किसान मोर्चे के आवाह्न पर 26 जनवरी को किसान संगठनों ने देश भर में किसानों की मांगों पर ज्ञापन दिये। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा 26 जनवरी को जींद में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब तथा उत्तर प्रदेश से ए.आई.के.एम.एस. के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। (ऊपर) जींद में हुई सभा का एक दृश्य।

8 मार्च 2023 का आह्वान

समाज में समानता की मांग करो! मनुवाद को अस्वीकार करो! पितृसत्ता को शिकस्त दो!

8 मार्च 1908 को न्यूयॉर्क (अमेरिका) में महिला कपड़ा श्रमिकों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार, दस घंटे का काम और बाल श्रम के शोषण को समाप्त करने की मांगों के अपने संघर्ष के एक और कदम के रूप में मार्च निकाला।

यह मार्च उल्लेखनीय था क्योंकि इसने अमेरिका की सभी महिलाओं, सभी वर्गों और सभी जातियों (रंगों) की महिलाओं को, एक ऐसे समय में जब वोट न केवल लिंग बल्कि संपत्ति और नस्ल से भी प्रतिबंधित था, वोट देने के समान अधिकार की मांग की थी। यह मार्च समाजवादी महिलाओं द्वारा आयोजित किया गया था और इसे पुलिस की हिंसा का सामना करना पड़ा था।

1910 में क्लारा जेटकिन के नेतृत्व में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन ने इसकी स्मृति और संदेश को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में चिंहित किया। समय के साथ इसे सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया है हालांकि कॉरपोरेट और प्रतिक्रियावादी ताकतें महिला दिवस के साम्यवादी इतिहास में जड़ों को नकारने की पूरी चेष्टा करते हैं। बाद में किसी भी वर्ष में इसी तिथि को घटी घटनाओं को भी उपरोक्त इतिहास के महत्व को कमतर करने के लिए उद्धृत किया जाता है। लेकिन इसे चिंहित किए जाने का कारण यही था– कि इसने अमेरिका के वर्ग और रंग विभाजित समाज में सभी महिलाओं के लिए पितृसत्ता के खिलाफ लैंगिक समानता के मुद्दे को उठाया। समाजवादी महिलाओं द्वारा यह उस समय की गई लामबंदी थी जब श्वेत महिलाओं के समूह भी लैंगिक अधिकारों पर सक्रिय थे लेकिन कई बार केवल एक निश्चित वर्ग और नस्ल के लिए।

महिला दिवस का यह इतिहास आज भारत में महिलाओं के लिए कितना प्रासंगिक है ? आज देश में गंभीर रूप से गहराते आर्थिक संकट की स्थिति हैं। आज हम लगातार बिगड़ते लैंगिक अधिकारों की स्थिति में खड़े हैं परंतु भाजपा आरएसएस केंद्र सरकार, और इसकी कई राज्य सरकारें भी, महिलाओं के बीच जाति, वर्ग और धर्म की दरार डालती हैं ! यह हम सभी महिलाओं के अधिकारों पर किए जा रहे हमलों से हमारी दृष्टि हटाने और धूमिल करने किया जा रहा है, ताकि हम सतत रूप से यही समझते रहें कि हमला ''दूसरों'' पर हो रहा है।

देश के हालात की ओर नजर डालें – कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और घर चलाना और खर्च को संभालना अत्यंत मुश्किल होता जा रहा है। ईंधन, अनाज, दूध, दाल हर चीज महंगी है। लेकिन केंद्र सरकार हमें विश्वास दिला रही है कि यह वास्तव में एक स्वर्णिम काल है, और बहुसंख्यक धर्म की उच्च जातियों को यह कहकर लुभा रही है कि पहली बार 'आप खुद' शासन कर रहे हैं।

सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, उच्च शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, उच्च शिक्षा में आरक्षण की संभावना शिक्षा के लगभग पूरी तरह से निजीकरण के कारण खत्म हो गई है, शिक्षा की इच्छुक आम महिलाएं माध्यमिक विद्यालयों की फीस का भुगतान नहीं कर सकती हैं, और नियमित नौकरियां अतीत की बात हैं। लेकिन आरएसएस–बीजेपी केंद्र सरकार देश के लोगो को विचलित और विभाजित करती है। बहुसंख्यक धर्म के ऊपरी जातियों के लोगों को भ्रमित कर कि यह वास्तव में उनका शासन है! तब फिर उनके प्रचार का पर्दाफाश करना चाहिए और पूछना चाहिए कि यह कैसे है कि उच्च जाति के बहुसंख्यक धर्म की महिलाओं और लड़कियों का विशाल बहुमत भी खुद को उच्च शिक्षा के लिए, स्थायी नौकरी या नियमित मजदूरी के अवसर से वंचित पाता है ! ये सभी नुकसान सभी महिलाओं के लिए परिवार और समाज के पितृसत्तात्मक शिकंजे को मजबूत करते हैं, भले ही वे किसी भी जाति और धर्म में पैदा हुई हों। यही बात महिलाओं को भी समझनी चाहिए।

फिर देखिए कि बहुसंख्यक–धर्म की दबंग जातियों की महिलाओं की ''सुरक्षा'' के नाम पर जो कदम उठाए जा रहे हैं। बहू बेटी इज्जत अभियान, 11 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून– जिसके लिए आपको डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने अपने इरादे साबित करने की आवश्यकता होती है। वे किसकी शादियां रोक रहे हैं, किसकी आजादी को रौंद रहे हैं? बहुसंख्यक धर्म की दबंग जातियों की महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता, अन्य भागों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करने के अधिकार– इन पर भी स्वयं केंद्र सरकार द्वारा गंभीर हमले

(शेष पृष्ठ 2 पर)

प्रमस द्वारा दिल्ली की युवा महिला की हत्या पर गहरा दुःख और रोष

पितृसत्तात्मक मूल्यों को परास्त करने की आवश्यकता है

प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस), दिल्ली, दिल्ली की युवा लड़की निक्की यादव की उनके लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत द्वारा की गई हत्या पर गहरा सदमा, दुख और शोक व्यक्त करता है। सामने आ रही खबरों के अनुसार इस हत्या का कारण, साहिल गहलोत पर यादव का शादी करने का दबाव है। यह रोंगटे खड़े करने वाला है कि आरोपी ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करने के बाद अपने परिवार की पसंद की लड़की के साथ शादी की रस्में निभाईं।

पूरा प्रकरण पितृसत्ता के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है जिसमें लड़का महिलाओं के अस्तित्व के प्रति इतना लापरवाह है कि उसने दो महिलाओं के जीवन को खराब करने का साहस किया। यह सुनिश्चित करना असंभव है कि क्या वह हमेशा अपने लिव–इन पार्टनर का शोषण कर रहा था या उसने अपने परिवार के सामने अपनी पसंद का समर्थन करने की हिम्मत नहीं की या वह सिर्फ दोनों ओर से सर्वश्रेष्ठ चाहता था। उसने एक महिला की हत्या करके और शव को बाद में ठिकाने लगाने के लिए एक रेफ्रिजरेटर में रखकर और दूसरी से शादी करके उससे छुटकारा पाने का फैसला किया, शायद बिना इस बात की चिंता किए कि वह उसे धोखा दे रहा है। कहाँ गए अब "हिंदू" लड़कियों के "रक्षक"? वे ऐसी हत्याओं की व्याख्या कैसे करते हैं जहां कोई "लव जिहादी" नहीं है? हिंदू लड़कियों की इस नृशंस हत्या पर तथाकथित हिंदू रक्षकों का कोई शोर नहीं है।

हत्या का रूप एक बार फिर भयानक है। एक बार फिर स्पष्ट है और महिलाओं को यह समझना चाहिए कि यह पुरुषों का धर्म नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक मूल्य प्रणाली है जो महिलाओं पर, चाहे आफताब,गहलोत या फिर कोई अन्य नाम, घरेलू हिंसा के सबसे खराब रूप को रेखांकित करती है।

महिलाओं को समझना चाहिए, ये पितृसत्तात्मक शासक केवल बंधनों को लागू करना चाहते हैं। सभी धर्मों की महिलाओं को यह समझना चाहिए कि वास्तव में महिलाओं के पसंद के अधिकार को ही निशाना बनाया जाता है। खाप पंचायतों के फरमानों द्वारा महिलाओं को अंतरजातीय विवाह के लिए जाने की अनुमति नहीं थी। 'सम्मान' के नाम पर बड़ी संख्या में महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। इसलिए महिलाओं को पितृसत्ता के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा और पितृसत्ता के विभिन्न रूपों के खिलाफ जाति और सांप्रदायिक आधार पर उनके संघर्षों को कमजोर करने के सभी प्रयासों को हराना होगा। पीएमएस दृढ़ता से महसूस करता है कि जब सरकार मनुवादी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को प्रायोजित करती है, जैसी इंसान के खिलाफ लींचिंग जैसी क्रूर हिंसा सामान्य होती जा रही है, जब सामूहिक बलात्कारियों और हत्या के दोषियों को समय पूर्व छोड़ा जा सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि देश में हत्याओं सहित जघन्य पितृसत्तात्मक हिंसा, घरेलू हिंसा में भी वृद्धि हो रही है लेकिन इसका उत्तर बहू बेटी इज्जत, महिलाओं को चारदीवारी में धकेलना, खाप अभियान, पसंद पर प्रतिबंध, मुसलमानों को जिहादी के रूप में ब्रांड करना, अंतर्जातीय जोड़ों को मारना, धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करना, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद कानून आदि नहीं है। महिलाओं को इन चालों के माध्यम से देखना और समझना चाहिए कि हत्यारी पितृसत्ता है और वह जाति और धर्म के अंदर बहार, घात लगाए रहती है।

पीएमएस दिल्ली की महिलाओं से आह्वान करता है कि वे शासकों द्वारा पितृसत्तात्मक मूल्यों जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं के बचाव के खिलाफ संघर्ष का निर्माण करें,। महिलाओं पर प्रतिबंधों के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ अभियान चलाएँ। आइए प्रभावी, उत्तरदायी संवेदनशील पुलिस व्यवस्था की मांग करें। केजी से पीजी तक सभी महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की मांग करने के लिए एकजुट हों ताकि वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनें। आइए सभी महिलाओं के लिए उचित नौकरियों की मांग करें।

पीएमएस दिल्ली इस हत्या की त्वरित, निष्पक्ष, वैज्ञानिक जांच की मांग करता है, जिसके बाद त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई और कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा हो।

पीएमएस दिल्ली सरकार द्वारा शहर की सभी कामकाजी महिलाओं के पंजीकरण की मांग करता है। सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग करता है।

पीएमएस दिल्ली के सभी पुलिस थानों में संवेदनशील और महिला हमदर्द हेल्प डेस्क बनाने तथा शिकायतों का सरल पंजीकरण की व्यवस्था किए जाने की मांग करता है ।

(प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस) दिल्ली की अध्यक्ष शोभा तथा महासचिव पूनम द्वारा निक्की यादव की हत्या पर जारी बयान को यहां प्रकाशित किया जा रहा है।)

महिला संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का आवाह्न

(पृष्ठ 1 का शेष)

किए जा रहे है – और वास्तव में महिला को एकदम मनु काल में धकेला जा रहा है। क्या जाति व्यवस्था के पक्षधर और रक्षक खुशी से नाच नहीं रहे हैं ?– जाति और धर्म के बाहर महिलाओं द्वारा बनाए गए संबंधों पर जो सख्त और सख्त प्रतिबंध हैं, उन पर ही तो पूरी जाति व्यवस्था टिकी हुई है! और वह व्यवस्था उच्च जाति बहुसंख्यक धर्म की महिलाओं को भी क्या स्थान देती है? – वे दोयम दर्जे की हैं। उसी सामाजिक सीढ़ी में दलित महिलाओं की कोई गिनती ही नहीं है– निम्नतम से भी नीचे। यह मनु का फरमान है। परिणामस्वरूप पूरे समाज में महिलाओं की स्थिति गिर जाती है। मनु की सामाजिक संहिता को स्वीकार करने वालों का शासन, जैसा कि आरएसएस की केंद्र सरकार करती है, अनिवार्य रूप से पितृसत्तात्मक शासन है, जिस बात को बहुसंख्यक धर्म की 'ऊपरी' जातियों की महिलाओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा। पितृसत्तात्मक बंधनों को मजबूत करने के खिलाफ सभी महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए।

क्योंकि यह अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए कि साम्प्रदायिकता, कट्टरवाद और संकीर्णता के सामान्य वातावरण में, सभी पितृसत्तात्मक बंधन मजबूत होते हैं। इस तरह सभी जातियों और सभी धर्मों के परिवार उन युवा लड़कियों और लड़कों दोनों, जो परिवार द्वारा निर्धारित विवाहों के सीधे और संकीर्ण रास्ते का उल्लंघन करते है पर हमला करेंगे और मजबूर करेंगे और यहां तक कि मार भी डालेंगे। लेकिन यह केंद्र सरकार की जातिवादी, सांप्रदायिक और पितृसत्तात्मक मुहिम का महिलाओं पर असर का केवल एक रूप है। सभी तबकों में महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिक भीषण रूप ले लेती है, विशेषकर युवाओं (आफताबो और साहिलो) में, मनुष्यों की क्रूर हिंसा से हत्या करना, उन्हें जिंदा जलाना, 'अन्य' के लिए अवमानना और पिछड़े विचारों की इज्जत करना मानदंड बन जाता है। यौन उत्पीड़न की उनकी शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित किए जाने से पहले देश की शीर्ष खिलाड़ियों को दिल्ली में तीन दिन तक अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मध्य प्रदेश की कुछ अदालतों में महिला वकीलों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। हरियाणा सरकार ने अब महिला सरकारी डॉक्टरों के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया है। असम सरकार ने बाल विवाह रोकने के सरकारी हस्तक्षेप के सभी समय परीक्षित आधुनिक तरीकों को खारिज कर दिया है और युवा विवाहित महिलाओं के पतियों और पिताओं को जेल में डाल रही है और यहां तक कि जब कोई पुरुष रिश्तेदार नहीं मिल रहा है महिलाओं को जेल में डाल रही है। साम्प्रदायिक हिंसा में गैंग रेप और हत्या करने वालों को अधिकार के तौर पर जमानत तो मिल जाती है, लेकिन जनवादी कार्यकर्ताओं या जनवादी संघर्षों का नेतृत्व करने वाले या देश की जेलों में ठूंसे गए गरीब विचाराधीन कैदियों को जमानत नहीं मिलती। और अब एक ऐसी स्थिति में समान नागरिक संहिता का वादा किया जा रहा है जहां विभाजनकारी प्रचार तेज हो, विविधता को 'अन्य' कहा जाता है और देश के भीतर पितृसत्तात्मक जंजीरों को मजबूत करने का विरोध समेत सभी बहसें 'देश विरोधी' हो जाती हैं।

कई महिलाएं और छात्र केवल असहमति जताने या संघर्षों में भाग लेने के कारण ही, यूएपीए सहित विभिन्न धाराओं के तहत जेलों में हैं । वे संघर्ष में अन्य सभी के लिए उदाहरण बनने के लिए जेल में हैं। कामकाजी महिलाएं– चाहे औद्योगिक कर्मचारी हों, सचिवीय कर्मचारी हों, नर्सें हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों, सरकारी कर्मचारी हों, आईटी पेशेवर हों, या कोई भी काम करती हो– आमतौर पर ठेके पर ही नौकरी कर रही हैं , अनियमित वेतन, कोई मातृत्व अवकाश और लाभ नहीं, कोई पीएफ जमा नहीं हो रहा। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे लेबर कोड के प्रावधान के तहत यूनियन बनाने या हड़ताल करने पर उन्हें दंडित किया जा सकता है। कृषि के कॉरपोरेटीकरण का अभियान महिला किसानों से उनकी जमीन छीन लेगा। भूमिहीन महिलाओं का जीवन और भी बदतर होता जा रहा है क्योंकि श्रम दर कम हो रही है, रोजगार और मनरेगा भी संकुचित हो रहा है, भूमि कॉरपोरेट को सौंप दी जा रही है और पितृसत्तात्मक परिवेश में यौन हिंसा को मजबूत किया जा रहा है। देश भर में आदिवासी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं क्योंकि आरएसएस बीजेपी केंद्र सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों द्वारा भारत के जंगलों को कॉरपोरेट को सौंपा जा रहा है। यह सरकार हर तरह के विरोध को फासीवादी दमन के साथ कुचल रही है।

8 मार्च 2023 देश की महिलाओं के सामने हमारे पितृसत्तात्मक बंधनों को कसने वाली नीतियों का एकजुट होकर मुकाबला करने की चुनौती लेकर आया है। आइए हम पसंद की स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार के लिए अपने संघर्ष को तेज करें। आइए हम मनुवाद को नकार दें। आइए हम मजदूरों, किसानों, नौजवानों, छात्रों, जनविरोधी और साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ सभी जनवादी संघर्षों के साथ एकजुटता का निर्माण करें।

आइए हम पितृसत्ता के खिलाफ अपने संघर्षों को तेज करें, विभिन्न जनवादी संघर्षों में भागीदार महिलाओं के बीच एकता के लिए काम करें, केंद्र सरकार के फासीवादी शासन के खिलाफ जनवादी दायरे की रक्षा और विस्तार के संघर्षों को मजबूत करें।

8 मार्च 2023 के अवसर पर, हम दुनिया भर में साम्राज्यवाद और पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रही महिलाओं को एकजुटता का संदेश भेजते हैं।

(8 मार्च 2023 के अवसर पर प्रोग्रेसिव आर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन (पी.ओ.डब्ल्यू.), प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस) तथा स्त्री जागृति मंच (आई एस जे एम) की समन्वय समिति द्वारा जारी)

का. एस.एन. सिंह की जन्मशती पर कार्यक्रम

सी.पी.आई. (एम–एल) न्यू डेमोक्रेसी की बिहार राज्य कमेटी ने 30 जनवरी 2023 को सी.पी.आई. (एम–एल) के दिवंगत महासचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की जन्मशती के अवसर पर मुजफ्फरपुर में एक स्मृति सभा का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर जिले में ही मुशहरी सशस्त्र किसान संघर्ष, नक्सलबाड़ी के बाद इस तरह का पहला संघर्ष, कॉमरेड एसएन के नेतृत्व में खड़ा हुआ था, जो उस समय एआईसीसीसीआर की बिहार कमेटी के संयोजक थे। संघर्ष तब तेजी से दरभंगा, चंपारण, सीतामढ़ी और उत्तर बिहार के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था।

बीना कॉन्सर्ट हॉल में आयोजित इस स्मृति सभा में उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों, विशेष रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिम चंपारण के 500 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी।

जन्मशती मनाने की तैयारी में विभिन्न जिलों में पार्टी कार्य क्षेत्रों में पर्चों के वितरण और स्थानीय मीटिंगों के माध्यम से एक अभियान चलाया गया। पोस्टर व्यापक रूप से चिपकाए गए थे। मुशहरी और आसपास के गांवों में बैनर भी लगाए गए थे, जबकि पूरे मुजफ्फरपुर शहर में पोस्टर चिपकाए गए।

पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद युवा कार्यकर्ताओं की एक टोली ने क्रांतिकारी गीत गाया।

सभा के प्रथम वक्ता– भाकपा (माले) न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमिटी की ओर से कॉमरेड सुशांत झा ने कॉमरेड एसएन की राजनीतिक यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक सच्चा नेता वह होता है जो निर्णायक समय पर सबसे पहले सही बात कहता है और उस पर अमल करता है और एसएन इसके उदाहरण थे। वे भाकपा (माले) के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने पार्टी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिन्होंने पार्टी की स्थापना कांग्रेस में पार्टी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और पोलित ब्यूरो के लिए चुने गए थे। लेकिन जब आवश्यक हुआ तो वे नेतृत्व के वाम दुस्साहसवाद का विरोध करने के लिए आगे आए। जब केंद्रीय कमिटी की गतिविधि मृतप्रायः कर दी गई थी, तो उन्होंने केंद्रीय कमिटी को पुनर्जीवित करने और एक क्रांतिकारी जनदिशा स्थापित करने की पहल की। वे संकीर्णतावाद के खिलाफ लड़े और भाकपा(माले) और गैर–भाकपा माले दोनों खेमों की क्रांतिकारी ताकतों की एकता राजनीति के आधार पर न कि पितृत्व के आधार पर करने का आह्वान में खुद को एक महान देशभक्त के रूप में साबित किया।

पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के कॉमरेड हीरा लाल ने कुछ सबक इंगित किए जो हमें कॉमरेड एसएन के उन्होंने नक्सलबाड़ी के पूर्व मजदूर वर्ग संगठन के निर्माण में और 1978 में एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन केंद्र के रूप में इफ्टू की स्थापना में उनकी भूमिका और उसके बाद से इफ्टू के उपाध्यक्ष के रूप में मजदूर वर्ग के आंदोलन में उनकी

19 फरवरी 2023 मोलाली युवा केन्द्र (कोलकाता) एस.एन.सिंह जन्मशती सभा : हाल का एक दृश्य

जीवन से लेने चाहिए। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी (जेडपीएससी) के अध्यक्ष कॉमरेड मुकेश ने पंजाब में दलितों के चल रहे भूमि संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने और जमीनों पर कब्जा करने के लिए भूमिहीनों को प्रेरित करने और उनका नेतृत्व करने में एसएन और भाकपा माले की भूमिका आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए जमीन सबसे अहम सवाल बना हुआ है। एआईकेएमएस की बिहार कमेटी के कॉमरेड शंभू सिंह और कॉमरेड रामचंदर सिंह ने भी सभा को संबोधित किया।

अंतिम अतिथि वक्ता इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी की अध्यक्ष कॉमरेड अपर्णा ने राष्ट्रीय कमिटी की ओर से कॉमरेड एसएन को श्रद्धांजलि दी। निरंतर भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अपने अंतिम वर्षों में एस एन ने बल दिया था की क्रांतिकारी जनदिशा (मास लाइन) को 'घास लाइन' अर्थात बेजान दिनचर्या, यथास्थितिवाद और सुधारवादी व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। कॉमरेड एसएन जैसे क्रांतिकारी ऐसे समतावादी कम्यूनिस्ट समाज के लिए लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, जिसमें न केवल सभी वर्गीय शोषण समाप्त होगा, बल्कि पितृसत्ता का आधार भी समाप्त होगा।

कामरेड रामबृक्ष ने मुशहरी सशस्त्र किसान संघर्ष के दौरान हुई कुछ घटनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा दिया और उत्साही नारेबाजी के साथ सभा समाप्त की गई।

का. एस.एन. सिंह की जन्मशती के अवसर पर 21 जनवरी 2023 को गोदावरी

(शेष पृष्ठ 8 पर)

30 जनवरी 2023 मुजफ्फरपुर एस.एन.सिंह स्मृति सभा : मंच पर बायें से का. रामवृक्ष राम, का.सुशांत झा, का. हीरा लाल, का. जे.वी. चलपति राव, का. अपर्णा तथा का. मुकेश मलौध

30 जनवरी को सभा में आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के एक जत्थे ने शहर के बाहरी इलाके से शुरू करके शहर की सड़कों से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक नारेबाजी करते हुए झंडे और बैनर लेकर जुलूस निकाला। ऐसा ही एक जुलूस मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक निकला। कार्यक्रम स्थल के पास इसकी ओर जाने वाली सभी सड़कों पर पार्टी के लाल झंडों और बैनरों की झड़ी लगा दी गई थी। हॉल के अंदर, मंच पर कॉमरेड एसएन की एक बड़ी तस्वीर के साथ लाल बैनरों की पृष्ठभूमि थी।

i kVhZ dh fcgkj jkT; desVh dh vkjs
l sd ,ejsM jkec{k jke usLefr lHkk dh
v/;{krk dh ,oa lapkyu fd;kA lHkk
dh 'kq#vkr mRrj kgi wkZt kjsnj ukjsckt h
dsch p fofHkUu jkT;ksa ds vfrfFk oä kvksa
i kVhZ usrkvksa}kjk ,oe~mudscku fcgkj
dsfofHkUu ftyksa dsçeq[k d,ejsMksa}kjk
d,ejsM ,l ,u dh rLohj dsle{k

किया। 1974 की रेलवे हड़ताल के क्रूर दमन के बाद, उन्होंने फासीवादी खतरे को समझा और इंदिरा शासन का विरोध करने वाली सभी ताकतों की एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया। कॉमरेड झा ने कहा कि आज हम फासीवादी शासन की ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं।

पार्टी की तेलंगाना कमिटी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड जेवी चलपति राव ने याद किया कि एसएन ने 1978 में विधान सभा चुनावों से पहले तत्कालीन आंध्र प्रदेश का दौरा किया था और उनकी प्रभावशाली भाषण शैली को लंबे समय तक याद किया गया था। कॉ. जेवी ने पार्टी द्वारा विभिन्न तबकों के अपने जन संगठन निर्मित करने की लाइन लेने के लिए सीपी के साथ एसएन की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि एसएन ने एक नए भर्ती हुए वायुसैनिक होते हुए ब्रिटिश ध्वज को सलामी देने से इनकार करने और इसके लिए जेल जाने के अपने वीरतापूर्ण कार्य से कम उम्र

20 फरवरी 2023 हैदराबाद एस.एन.सिंह जन्मशती सभा को संबोधित करते का. वी. वैंकटरमैया (बायें) तथा सभा में भाग लेने वाले (दायें)

जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या

अंडर ट्रायल कैदियों का सवाल मौजूदा शासक वर्गों के लिए मानवाधिकार का प्रश्न ही नहीं है !

अनिल दुबे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2022 को कहा ''हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो और जेल बनाने की क्या जरूरत है ? हमें उनकी संख्या कम करने की जरूरत है''। जेलों में क्षमता से अधिक बढ़ रही भीड़ और दोष सिद्ध कैदियों से 3 गुना अधिक विचाराधीन कैदियों की संख्या से राष्ट्रपति आहत तो थी हीं उन्होंने परोक्ष रूप से शासक वर्गों के विकास के कथित माडल और न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है।। उन्होंने कहा ''जहां मेरा जन्म हुआ वहां लोग तीन लोगों को भगवान मानते हैं। शिक्षक, डॉक्टर और वकील। अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए यह लोग अपना सारा पैसा और संपत्ति डॉक्टरों व वकीलों को देने को तैयार रहते हैं''। आरएसएस–भाजपा सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित कराया था और प्रचारित किया था कि देश में पहली बार आदिवासी समुदाय की महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक माह पहले एफआरए कानून में पिछले दरवाजे से संशोधन कर आदिवासियों के जंगल और जमीन पर प्राप्त अधिकार छीन लिए गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने उस आदिवासी समाज की पीड़ा को संविधान दिवस के अवसर पर व्यक्त करते हुए कहा था ''छोटे–मोटे अपराधों के लिए कई सालों से कैद गरीब लोगों को मदद की जरूरत है जबकि ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं। यहां तक कि दूसरों को मारते हैं, लेकिन खुले में घूम रहे हैं''। यह पहला मौका नहीं है जब विचाराधीन कैदियों को लेकर सत्ता के गलियारों में चर्चा हो रही है। जनवरी 1975 को देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की हिस्सेदारी 57.6ः थी। इस पर 1979 में विधि आयोग ने कहा था कि जेल दोष सिद्ध अपराधियों के लिए होनी चाहिए ना कि विचाराधीन व्यक्तियों को रखने के लिए। भारत में यह पहला मौका है जब 77.1% कैदी विचाराधीन और 22.2% दोष सिद्ध कैदी जेलों में हैं। जेलों में बंद 10 में से करीब 8 कैदी विचाराधीन हैं। 2020 की तुलना में 2021 में जेल ऑक्युपेंसी रेट 118% से बढ़कर 130% हो गई है।

1947 के बाद जिस संसदीय लोकतंत्र को शासक वर्गों ने अपनाया उसमें कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली का अघोषित सूत्र वाक्य ''जिसकी लाठी उसकी भैंस'' रहा है। इसका मुख्य पहलू यह भी रहा है कि शासक वर्ग हमेशा जनता के प्रतिरोध को दबाने और कुचलने के लिए जेलों का इस्तेमाल राजनीतिक औजार के रूप में करता रहा है। सत्ता अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पुलिस और जेल के जरिए दबाने की कोशिश करती रही है। आरएसएस–भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से इस सिलसिले में और तेजी आई है। किसानों, मजदूरों, छात्रों, कर्मचारियों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगारों के आंदोलनों के अलावा एनआरसी विरोधी आंदोलनों के नेताओं और उसके समर्थक बुद्धिजीवियों, वकीलों और पत्रकारों को बड़ी संख्या में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। लोगों के नागरिक और मानवाधिकारों का महत्व कम किया गया है और उसे तेजी से छीना जा रहा है। ऐसे में जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों का सवाल मौजूदा शासक वर्गों के लिए मानवाधिकार का प्रश्न ही नहीं है !

ब्रिटिश राज जो मूलतः पुलिस राज था, उसे देश की आजादी के बाद नए शासक वर्गों ने एकदम उसी रूप में स्वीकार कर लिया बल्कि उसे क्रूर व और जनविरोधी बना दिया। पुलिस को बेहिसाब लिखित और अघोषित अधिकार प्राप्त हैं। इसके कारण समाज का संपन्न तबका बड़े से बड़ा अपराध करने के बाद भी कानून के दायरे में नहीं आता जबकि आम लोग आपसी विवाद में भी वर्षों तक जेल में सड़ते हैं। आर्म्स एक्ट, शराब, जुआ व आपसी विवाद ऐसे ही मामले हैं जिसमें पुलिस किसी को भी (आमतौर पर कमजोर गरीब लोग) गिरफ्तार कर सकती है और महीनों या बरसों उसे जमानत भी ना ले पाने के लिए विवश कर सकती है। यही पीड़ा राष्ट्रपति के भाषण में झलकती है। पुलिस को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। अपराध की जांच के नाम पर महीनों या वर्षों जांच प्रक्रिया चला सकती है और चार्जशीट दायर करने में देरी करके जमानत की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। बाद में भले ही आरोपी पर कोई अपराध सिद्ध ना हो। देश में न्याय पाने की शुरुआत जिला कचहरियों से होती है। जहां जज पुलिस के पक्ष में दिखाई देता है और वह 99% मामलों में आरोपी को पुलिस रिमांड या न्यायिक हिरासत में भेज देता है। चूंकि जज के सामने सिर्फ पुलिस का पक्ष होता है और गिरफ्तारी के कारण अभियुक्त अपने पक्ष में कोई भी सुबूत पेश नहीं कर सकता। इस तरह अदालत में जमानत की प्रक्रिया ही पूरी तरह दोषपूर्ण है। जज जमानत नहीं देते। परिणाम स्वरूप सामाजिक रूप से पिछड़े और गरीब लोग जमानत की कोशिश भी नहीं कर सकते।

भारत में जेलों की स्थिति को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है जो यह साबित करते हैं कि देश का शासक वर्ग किस तरह आम गरीब जनता, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक विरोधी है। वर्ष 2007 में 2 लाख 50727 विचाराधीन कैदी थे। कुल कैदियों का यह 66% था। 2014 में 2 लाख 82879 विचाराधीन कैदी थे, जो कुल कैदियों का 69% था। वहीं आरएसएस–भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के 7 वर्षों के दौरान 2021 में 4 लाख 27165 विचाराधीन कैदी हो गए जो कुल कैदियों का 77.1% है। भारत में जेलों की स्थिति संबंधी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दोषी और विचाराधीन कुल कैदियों में आधे से अधिक दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के थे। इनका अनुपात 50.8% था। इसमें 21.2% दलित, 18.1 % मुस्लिम और 11.5 प्रतिशत आदिवासी थे। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना में देश में कुल दलित आबादी 16.6%, मुस्लिम 14.2 और आदिवासी 8.6% थे। इस तरह तीनों समुदाय की कुल आबादी 39.4% थी जबकि जेलों में उनकी आबादी का प्रतिशत 50.8 था। जेल में दोष सिद्ध और विचाराधीन कैदियों की स्थिति को समझने के लिए उनकी आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा और जेलों में रहने की अवधि जैसे आंकड़ों को देखने से गरीबों के प्रति शासक वर्गों का मिजाज समझ में आता है।

जेलों की संख्या

एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 की ''भारत में जेलों की स्थिति'' संबंधी रिपोर्ट के अनुसार देश में सभी तरह की कुल 1319 जेल है। इसमें 148 सेंट्रल जेल, 424 जिला जेल, 564 सब जेल, 32 महिला, 88 ओपन और 41 स्पेशल जेल हैं। सर्वाधिक सेंट्रल जेल 14 देश की राजधानी दिल्ली में है। 11 मध्य प्रदेश, 10 पंजाब, 9–9 महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान, 8–8 पश्चिम बंगाल, बिहार व कर्नाटक, 7–7 उत्तर प्रदेश व झारखंड, असम में 6, गुजरात में 4 और उड़ीसा में 5 सेंट्रल जेल हैं। जिला जेल उत्तर प्रदेश में 62, मध्य प्रदेश 48, बिहार 31, महाराष्ट्र 28, राजस्थान 26, छत्तीसगढ़ 20, ओडिशा 9, पंजाब 7, पश्चिम बंगाल 13 और तेलंगाना में 7 जिला जेल हैं। सब जेल तमिलनाडु में 96, आंध्र प्रदेश 91, मध्य प्रदेश व उड़ीसा में 73–73, राजस्थान 60, पश्चिम बंगाल 30, बिहार 17, पंजाब 5, तेलंगाना 20 और उत्तर प्रदेश में 2 हैं। महिला जेल 7 राजस्थान में, 5 तमिलनाडु, 2–2 आंध्र प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश में हैं। ओपन जेल राजस्थान में 39, महाराष्ट्र 19, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 4–4 हैं।

जेलों की क्षमता

सभी तरह के जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता 4 लाख 25609 है, जिसमें 3 लाख 96140 पुरुष और 29426 महिलाओं की है। जेलों की क्षमता के विपरीत 130.2% कैदी रह रहे हैं। दिसंबर 2021 में देश भर में 5 लाख 54 हजार 34 कैदी जेलों में थे, जिनमें 5 लाख 31 हजार 25 पुरुष और 22918 महिला कैदी थीं। जेलों में कैदियों की सबसे भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं जहां 63751 कैदियों को ही रखने की क्षमता है लेकिन 1 लाख 17 हजार 789 कैदी रखे गए थे। इसमें 1 लाख 12 हजार 783 पुरुष और 5000 महिला कैदी थीं, जबकि पुरुष कैदियों के लिए जेलों में 60224 और महिलाओं के लिए 3527 की ही क्षमता है। इसके बाद बिहार है जहां जेलों में कैदियों की रखने की क्षमता 47750 है, लेकिन 66879 कैदी रखे गए थे। इनमें 63812 पुरुष और 3067 महिला कैदी थीं। मध्यप्रदेश में 48513 कैदी हैं जबकि जेलों की क्षमता 29571 है। महाराष्ट्र में कैदियों की संख्या 36853 है लेकिन क्षमता 24772 कैदी की है। छत्तीसगढ़ में 13500 की क्षमता के विपरीत 20061 कैदी हैं। गुजरात में 13999 की क्षमता है, लेकिन 16597 और हरियाणा 19999 की तुलना में 24158 कैदी हैं। दिल्ली में 18295 कैदी हैं, लेकिन जेल की क्षमता 10026 की है।

2007 से 2021 तक विचाराधीन कैदी दोगुना से अधिक

वर्ष 2016 से 2021 के बीच जेलों में कुल कैदियों की संख्या में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि जहां दोषी साबित हो चुके कैदियों की संख्या में 9.5 प्रतिशत की कमी आई है वहीं विचाराधीन कैदियों की संख्या में 45.8 प्रतिशत का भारी उछाल आया है। यूपी और बिहार की जेलों में देश के कुल अंडर ट्रायल कैदियों में से 35% कैदी हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के जेलों में 22.2% सजायाफ्ता, 77.1% अंडर ट्रायल कैदी थे। जेलों में दोष सिद्ध कैदी 1 लाख 22 हजार 852 थे जबकि विचाराधीन कैदियों की संख्या 4 लाख 27 हजार 165 थी। इसमें सबसे बुरी स्थिति यूपी की है। यहां सजा पाए कैदियों की संख्या 26956 है, तो विचाराधीन कैदी 90606 हैं। बिहार में 59577 विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें 56792 पुरुष और 2785 महिलाएं हैं। यहां कुल 7301 सजायाफ्ता कैदी हैं। दिल्ली में 1569 सजायाफ्ता कैदी हैं जबकि जेलों में 16665 अंडर ट्रायल है। छत्तीसगढ़ में 12288 विचाराधीन कैदी हैं जबकि दोष सिद्ध 7762 हैं, मध्यप्रदेश में 29094 विचाराधीन तो 19266 सजायाफ्ता कैदी हैं। महाराष्ट्र में 31792 अंडर ट्रायल और 4861 सजा पा चुके हैं। ओडिशा में 18164 विचाराधीन और 2620 दोषी ठहराए गए कैदी हैं। पंजाब में 19510 अंडर ट्रायल और 6581 सजायाफ्ता कैदी हैं। गुजरात में 11599 विचाराधीन कैदी हैं, जबकि दोषी 4626 हैं, पश्चिम बंगाल में 22577 विचाराधीन और 2954 सजायाफ्ता कैदी हैं।

सजा पाए कैदियों की धार्मिक, जातीय, शैक्षणिक स्थिति

जेलों में सजायाफ्ता कैदियों में 92522 हिंदू, 19580 मुस्लिम, 5537 सिख, 3567 क्रिश्चयन कैदी हैं। यूपी की जेलों में दोष सिद्ध और विचाराधीन कुल मुस्लिम कैदियों का प्रतिशत 27 है जबकि प्रदेश में उनकी आबादी 20% है। गुजरात में 27% मुस्लिम जेल में हैं जबकि उनकी आबादी 10 % है। पश्चिम बंगाल में 37% जेल में है जबकि उनकी आबादी 27% है। असम में 45% जेलों में हैं और प्रदेश में उनकी आबादी 34% है। देश भर में विचाराधीन कैदियों में 2 लाख 89668 हिंदू, 76877 मुस्लिम, 16550 सिख और 9240 क्रिश्चियन समुदाय के हैं। यूपी में 65209 हिंदू और 23458 मुस्लिम विचाराधीन कैदी हैं। दिल्ली में 11174 हिंदू, 4737 मुस्लिम हैं। 2021 की जेल रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सजायाफ्ता कैदियों में 26643 दलित, 17310 आदिवासी, 45849 ओबीसी और 33050 अन्य जातियों के लोग थे।

2011 की जनगणना रिपोर्ट और 2019 में जेलों में सभी तरह के दलित और आदिवासी कैदियों का अनुपात इस तरह है। गुजरात की जेलों में कुल कैदियों में से 16 प्रतिशत दलित हैं जबकि प्रदेश में उनकी आबादी 7 प्रतिशत हैं। असम की जेलों में 17 प्रतिशत और आबादी में 7 प्रतिशत हैं। एमपी की जेलों में 22 प्रतिशत आबादी में 16 प्रतिशत हैं। ओडिशा की जेलों में 30 प्रतिशत परंतु आबादी में 17 प्रतिशत हैं। बिहार की जेलों में 21 प्रतिशत और आबादी में 16 प्रतिशत दलित हैं। इस तरह जेलों की कुल संख्या में 21.2 प्रतिशत दलित हैं जबकि देश की आबादी में वे 16.6 प्रतिशत हैं। यूपी में जेलों में 5 प्रतिशत आदिवासी हैं जबकि प्रदेश में उनकी आबादी 0.6 प्रतिशत है। असम की जेलों में 21 प्रतिशत और आबादी में 12 प्रतिशत हैं। इस तरह देश भर की जेलों में 11.5 प्रतिशत आदिवासी हैं, जबकि उनकी आबादी 8.6 प्रतिशत है।

देश में सभी जेलों में कुल सजायाफ्ता

व्यवस्था के जनविरोधी चरित्र को दिखाती है

कैदियों में 30894 पूर्णतया अशिक्षित और 52542 दसवीं से कम शिक्षित हैं। 12 वीं या उससे कम की शिक्षा पाए कैदियों की संख्या 27040, ग्रेजुएट 8394, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा 1607, और 2375 मास्टर डिग्री तक शिक्षित हैं। यूपी में सर्वाधिक अशिक्षित सजायाफ्ता कैदी हैं। हिंदी भाषी अन्य राज्यों की भी कमोबेश यही स्थिति है जो दर्शाता है कि वह गरीब समुदाय से हैं।

अंडर ट्रायल कैदियों की स्थिति

देश भर में 427165 अंडर ट्रायल कैदियों में से 1 लाख 7 हजार 946 कैदी अशिक्षित हैं और 168420 दसवीं से कम शिक्षा पाए हुए हैं। 12 वीं से कम शिक्षा पाए विचाराधीन कैदियों की संख्या 1 लाख 4 हजार 958 है। 32212 ग्रेजुएट, 5324 इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 7605 मास्टर्स तक की पढ़ाई किए हुए हैं। कैदियों की एक बड़ी संख्या सामाजिक और आर्थिक रुप से कमजोर पृष्ठभूमि से आता है जिसकी वजह से लगभग 25 प्रतिशत विचाराधीन कैदी साक्षर भी नहीं हैं और वह अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को ना पढ़ सकते हैं और ना समझ सकते हैं।

जेलों में विचाराधीन कैदियों में 289668 हिंदू, 76877 मुस्लिम, 16550 सिख और 9240 इसाई हैं। उत्तर प्रदेश में 90606 अंडर ट्रायल कैदियों में 65209 हिंदू और 23458 मुस्लिम हैं। वहीं विचाराधीन में दलित समुदाय के 90037 कैदी हैं। आदिवासी समुदाय से 42211, ओबीसी 1 लाख 51हजार 287 और अन्य (सवर्ण) 1 लाख 11 हजार 878 हैं।

विचाराधीन कैदियों की जेल में अवधि

जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या पर देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा था कि आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा बन गई है। अंधाधुंध गिरफ्तारी से लेकर जमानत लेने तक में आ रही मुश्किलों से विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक कैद में रखने की प्रक्रिया पर उन्होंने ध्यान देने की जरूरत बताई थी। देश की विभिन्न जेलों में 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के 2 लाख 4 हजार 637 कैदी विचाराधीन हैं। 30 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में 1 लाख 75 हजार 182 कैदी हैं और 50 वर्ष से अधिक आयु में 47346 कैदी हैं। यूपी में 100 कैदियों की जगह में 208 कैदी रहते हैं, जबकि उत्तराखंड की जेलों में 100 कैदी के रहने लायक जगह में 300 कैदी रह रहे हैं।

अंडर ट्रायल कैदी के तौर पर जेल में 3 महीने से 2 साल तक का समय बिता चुके कैदियों की संख्या 2.13 लाख है जिसमें 8822 महिलाएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार 4 में से 1 विचाराधीन कैदी को 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक के लिए कैद किया गया। वहीं 8 में से एक को 2 से 5 वर्ष तक जेल में रखा गया है।

देश भर में कुल अंडर ट्रायल कैदियों की जेलों में रहने की स्थिति को देखा जाए तो 1 से 2 वर्ष तक जेल में रह रहे कैदियों की कुल संख्या 56233 है जिसमें सर्वाधिक 12759 उत्तर प्रदेश, 6153 बिहार, 4600 मध्य प्रदेश, 4246 महाराष्ट्र, 2433 पंजाब और 2793 उड़ीसा में थी। 2 से 3 वर्ष से तक जेलों में रह रहे विचाराधीन कैदियों की संख्या 32492 है जिसमें 8485 उत्तर प्रदेश, 3353 मध्य प्रदेश, 2212 बिहार, 3353 महाराष्ट्र, 1228 उड़ीसा और 1570 पंजाब है।

3 से 5 वर्ष तक जेलों में रह रहे विचाराधीन कैदियों की संख्या 24033 है जिसमें 6848 उत्तर प्रदेश, 3325 महाराष्ट्र, 1182 उड़ीसा, 780 पंजाब, 1474 राजस्थान, 2226 पश्चिम बंगाल, 967 बिहार और 591 छत्तीसगढ़ में हैं।

5 वर्ष से अधिक जेलों में रह रहे विचाराधीन कैदियों की संख्या 11490 है। इसमें 3368 उत्तर प्रदेश, 1915 महाराष्ट्र, 1307 राजस्थान, 1170 पश्चिम बंगाल, 226 बिहार, 63 छत्तीसगढ़, झारखंड 332, उड़ीसा 593, व पंजाब में 407 हैं। इस तरह देश भर में 427165 विचाराधीन कैदी 3 माह से लेकर 5 वर्ष से अधिक समय से जेलों में रह रहे हैं।

यहां यह भी गौरतलब है की जेलों में ऐसे भी कैदी हैं जो अदालत द्वारा तय जुर्माना ना दिए जा सकने के कारण 6 माह से लेकर 5 वर्ष से अधिक समय से जेलों में हैं। दिसंबर 2021 तक 6 माह से 612 ऐसे कैदी जेल में बंद थे जो जुर्माना का भुगतान नहीं कर सकते थे। इसी तरह 6 माह से लेकर 1 वर्ष की अवधि से 216, 1 वर्ष से 2 वर्ष के 130 और 2 से 3 वर्ष के 138 कैदी जेलों में बंद थे। 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से ऐसे 158 कैदी जुर्माने का भुगतान न कर सकने के कारण जेलों में हैं।

राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश और विधि आयोग द्वारा समय–समय पर व्यक्त की गई चिंता के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023–24 के आम बजट में जमानत राशि जमा ना कर पाने से जेल में रहने वाले कैदियों के लिए कुछ प्रावधान करने का उल्लेख किया है, जो फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है।

जेलों में दिसंबर 2021 के एक वर्ष में 2116 कैदियों की मृत्यु हुई। हालांकि जेल आंकड़ों के अनुसार इसमें 1879 मौत प्राकृतिक और 185 अनेचुरल डेथ बताई गई है। राजस्थान में 52 कैदी मरे जिनके मृत्यु का कोई कारण ही नहीं बताया गया है। नेचुरल डेथ सबसे ज्यादा 439 उत्तर प्रदेश, 173 बिहार, 151 मध्य प्रदेश 145 पंजाब 141 पश्चिम बंगाल 123 महाराष्ट्र मनीषा और 17 तेलंगाना में हुई। अप्राकृ–तिक मृत्यु में भी सबसे ज्यादा 42 मौतें उत्तर प्रदेश में, 16 हरियाणा, 11 केरल, 8–8 महाराष्ट्र और उड़ीसा में, 7 पंजाब और 16 पश्चिम बंगाल में हुई।

जेलों में हत्या, रेप, डकैती, अपहरण आर्थिक धोखाधड़ी और दलित उत्पीड़न जैसे संगीन मामलों के विचाराधीन कैदियों को छोड़ दिया जाए तो आर्म्स, विस्फोटक, शराब और ड्रग एक्ट के तहत 81000 से अधिक कैदी जेलों में हैं। इसमें 66881 शराब और ड्रग मामलों में एवं 14674 आर्म्स एक्ट के तहत जेलों में बंद हैं। इसमें सर्वाधिक 23000 विचाराधीन कैदी बिहार में हैं, जो आर्म्स और शराब एक्ट के तहत जेलों में हैं। सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश यूपी में 11000 लोग जेलों में हैं। उड़ीसा 4374 और पंजाब में 7337 कैदी उक्त मामलों में बंद हैं। हैरत की बात यह है कि जुआ खेलने के मामले में देश भर में 1635 लोग जेलों में थे।

2007 जेल आंकड़ा

भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात हमेशा अधिक रहा है, लेकिन 7–7 वर्ष के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि आरएसएस– भाजपा के सत्ता में आने के बाद से विचाराधीन कैदियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है जबकि सजा पाने वाले कैदियों का अनुपात घटा है। जेल संबंधी 2007 की रिपोर्ट के अनुसार उस समय सभी तरह की 1276 जेलें थीं जिनमें कैदियों की रहने की क्षमता 277304 थी, जबकि उनमें 376396 कैदी रह रहे थे। इस तरह क्षमता से 135.7% अधिक कैदी थे। इसमें 120115 सजा पाए कैदी रह रहे थे, जबकि 250727 विचाराधीन कैदी थे। इस तरह 31.9% सजायाफ्ता और 66.6% विचाराधीन कैदी थे।

2014 में कैदियों के आंकड़े

2014 में जेल में सजायाफ्ता कैदियों की संख्या 131517 थी। सजायाफ्ता कैदियों का प्रतिशत 31.4 था। इसमें 126114 पुरुष और 5403 महिला कैदी थीं। वहीं दूसरी ओर अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या 282879 थी और उनका प्रतिशत 69.7 था। इसमें 270783 पुरुष और 12096 महिला कैदी थीं। 2014 में जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता 356561 थी जिसमें 331349 पुरुष और 25212 महिलाएं रह सकती थीं। उस समय भी जेलों में क्षमता से 117: कैदी थे। उस समय कुल 418536 कैदी जेलों में थे।

जेल रिपोर्ट 2019 में देश की विभिन्न जेलों में 478600 कैदी थे। इनमें दोष सिद्ध कैदियों की संख्या 141125 थी और 330487 विचाराधीन कैदियों की संख्या थी। इसमें मात्र 91 कैदी दीवानी के थे। जेलों में 260851 हिंदू विचाराधीन कैदी थे तो 61900 मुस्लिम, 11884 सिख, और 9170 ईसाई कैदी अंडर ट्रायल थे।

2019 में देश भर में 69302 दलित, 34756 आदिवासी, 113062 ओबीसी और 50810 विभिन्न जातियों के विचाराधीन कैदी जेलों में थे।

वैश्विक स्थिति और संस्थाओं के अध्ययन

दुनिया भर के जेलों में कैदियों की स्थिति और स्वतंत्र अध्ययन करने वाली एजेंसियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिक अधिकार जेलों में दम तोड़ता नजर आता है। वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ डब्ल्यूपीबी की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर विचाराधीन कैदियों के मामले में भारत 76.1% के साथ छठवें नंबर पर है जबकि लिकटेंस्टीन 91.7% के साथ सूची में पहले स्थान पर है। वहीं सैन मेरिनो दूसरे स्थान पर है। फिर हैती, गेबान व बांग्लादेश है। इस सूची में पाकिस्तान भारत से बेहतर है। वैसे दुनिया के बड़े 'लोकतांत्रिक' देशों में देखा जाए तो भारत नंबर एक पर है जहां सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार अपराधिक मामलों में लंबे समय तक कैदियों को बिना जमानत के हिरासत में रखना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों का उल्लंघन है। जमानत राशि भुगतान करने में असमर्थ लोग जेलों में सड़ रहे हैं जो न्याय प्रणाली का अपमान है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2017 की रिपोर्ट में कहा था कि लंबे समय तक विचाराधीन हिरासत कई चिंताओं को जन्म देती है। इस तरह की हिरासत स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन है जो कैद में बंद लोगों के जीवन व आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक स्वतंत्र अध्ययन करने वाली एजेंसी है। इसमें सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडिया लाइव्स आदि शामिल हैं। इसने भी एनसीआरबी डाटा की समीक्षा की है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में गिरफ्तार लोगों की संख्या 7.7 लाख तक बढ़ी है। 2021 में जहां 1.47 करोड़ लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2020 में विभिन्न मामलों में 1.29 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी हुई। जेलों में 24003 विचाराधीन कैदी 3 से 5 वर्ष से जेल में बंद है और 11490 कैदी 5 वर्ष से ज्यादा का समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। अधिकांश कैदी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग वाली पृष्ठभूमि में से आते हैं। स्वाभाविक है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिमों का प्रतिशत इसमें अधिक है। रिपोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि कैदियों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद जेल कर्मियों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के पदों में वृद्धि नहीं की गई। मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक प्रत्येक 300 कैदियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए लेकिन राष्ट्रीय औसत से देखें तो यह आंकड़ा 842 कैदियों पर एक डॉक्टर का है।

एनसीआरबी जेल रिपोर्ट के आंकड़ों के विश्लेषण से यह साबित होता है कि जिस तरह देश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानता है उससे बदतर स्थितियां जेलों में हैं। दलित, महिला, मुस्लिम, आदिवासी समुदाय और गरीबों की स्थिति खराब है। जेल में बंद हो जाने के बाद वह और उनके परिवार आर्थिक संकट के कारण मुकदमों की पैरवी भी नहीं कर पाते। हालांकि कानूनन उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन अशिक्षा के कारण उन्हें इसकी भी जानकारी नहीं होती। गांव से लेकर केंद्रीय सत्ता के शीर्ष से जिस तरह के जनविरोधी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक फैसले होते हैं और उनके खिलाफ उठने वाले जन प्रतिरोध को कुचलने के लिए शासक वर्ग लगातार कठोर जन विरोधी कानून बनाते रहे हैं और पुलिस बलों को मजबूत करते रहे हैं। उससे नागरिक और मानव अधिकार प्राप्त करने के रास्ते कठिन और बाधित हो जाते हैं। दोषपूर्ण और व्यवहार में भेदभाव युक्त न्याय प्रणाली से भी जेलों में कैदियों खासतौर पर अंडर ट्रायल की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2014 में आरएसएस–भाजपा सरकार के आने के बाद से इसमें और तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में जेलों की समस्या भी देश के अंदर व्याप्त तमाम सवालों से अलग नहीं है। उसमें सुधार अथवा समाधान भी जनता के व्यापक सवालों से जुड़ कर जेल से लेकर सड़क तक ही निकलेगा।

केंद्रीय बजट 2023–'24

सामाजिक क्षेत्रों के प्रति निर्मम कटौती और जन सरोकारों की अपराधिक उपेक्षा

(पृष्ठ 1 से आगे)
भी लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कॉरपोरेट के खजाने में जा रहा है, जो पश्चिमी देशों बनाको रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों को बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। लगभग एक तिहाई से अधिक सरकार व्यय सार्वजनिक उधारी द्वारा बनाए रखा जाता है, जो इस वर्ष 15.43 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और देश के खनिज संसाधनों को बेचने पर लगी हुई है। हालांकि इसके मुद्रीकरण लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सक रहा है। मुद्रीकरण में कमी की भरपाई खनन उद्योग द्वारा कोयले और अन्य खनन से की जा रही है, जो लक्ष्य से काफी अधिक है। इससे पता चलता है कि क्यों सरकार आदिवासियों के विस्थापन को सुगम बनाने और खनिज संपन्न भूमि को कॉरपोरेट को सौंपने को सुगम बनाने के लिए नए वन संरक्षण नियम (2022) लाई है।

केंद्रीय बजट में न केवल सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च में तेज कटौती हुई है, बल्कि कॉरपोरेट और धनी वर्गों के लिए उदारता में भारी वृद्धि हुई है। सारकार ने इस वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि का दावा किया है। हालांकि सरकार 2022–23 में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित धन को खर्च करने में विफल रही थी। पर सरकार कॉरपोरेट पर अपनी उदारता को पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाने पर उतारू है। पिछले साल जब एयर इंडिया को टाटा को सौंप दिया गया था, तो इसका लगभग सारा कर्ज सरकार ने ले लिया था और इसे सरकार के पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाया गया था। कॉरपोरेट के ये कर्ज, टैक्स छूट और घाटा देश के 'पूंजीगत व्यय' के नए क्षेत्र बन रहे हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के निर्माण व पूंजीगत व्यय पर खर्च बढ़ाने की पूरी कवायद सरकार और निजी सार्वजनिक भागीदारी में है। निजी क्षेत्र के लिए लाभ और जनता के लिए नुकसान में निहित साझेदारी से पता चलता है कि जोर विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट के हित में है। कृषि और उद्योग के विकास पर जोर दिए बिना बुनियादी ढांचे पर यह जोर वास्तव में जनता की कीमत पर कॉरपोरेट के लिए लोगों के संसाधनों का बेइमानी से इस्तेमाल कर रहा है। विशेष रूप से उपेक्षित क्षेत्र रोजगार सृजन का क्षेत्र है जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि और मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई) हैं जिन्हें केंद्रीय बजट में बुरा व्यवहार मिला है।

सरकार आयकर दरों को कम करने और वेतनभोगी वर्ग को इसका लाभ देने का भी काफी हो हल्ला करा है। सबसे पहले तो यह कि काम करने वाले लोगों के विशाल बहुमत को यह छूता ही नहीं है और दूसरी बात यह है कि नई कर व्यवस्था (एनटीआर) के तहत आयकर के निचले स्लैब के लिए लाभ सभी छूटों के उन्मूलन से संतुलित हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि मध्यम वर्ग भी एनटीआर की ओर जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। इस छलावे के तहत असली लाभ उन अति धनाढ्यों पर बरसाए जा रहे हैं जिनकी कर देनदारियां कम हो जाएंगी। यह पहले से ही कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी के साथ जुड़ा हुआ है।

कृषि जिसमें देश का आधे से अधिक कार्यबल लगा है और ग्रामीण क्षेत्र जहां देश के दो तिहाई से अधिक लोग रहते हैं, को बजट में बुरा बर्ताव मिला है। एकमात्र बड़ी वृद्धि कृषि ऋण में हुई है और यह तब है जब किसान कर्ज के बढ़ते बोझ के तले कराह रहे हैं। इसके अलावा, जबकि अमीरों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, यहां तक कि यह प्रचारित भी नहीं किया जाता है, कर्ज की वसूली के लिए किसानों को उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होना पड़ता है। उर्वरकों की सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ से 1.75 लाख करोड़ कर दी गई है यानी इसमें 22 प्रतिशत की कटौती से बजट का कृषि विरोधी झुकाव स्पष्ट है। इस कटौती को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात के तहत कवर किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों के सबसे ज्यादा जरूरतमंद यानी खेतिहर मजदूर और गरीब किसान भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मनरेगा के लिए आवंटन में एक तिहाई यानी वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 29,400 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। यह तब है जब सरकारी अध्ययन भी स्पष्ट रूप से कृषि से आय के बहुत ही निम्न स्तर को प्रदर्शित करते रहे हैं। वास्तव में किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष के कारण पूरी कृषि को विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट को सौंपने के अपने इरादों में विफल हो जाने के बाद, अब सरकार कृषि–भंडारण, विपणन और इसी तरह के विभिन्न पहलुओं में कॉरपोरेट की पैठ बढ़ाने पर आमादा है। धूमधाम से शुरू की गई प्रधान मंत्री किसान योजना की घोर अवहेलना करते हुए आवंटन संशोधित अनुमानों के मुकाबले लगभग 8000 करोड़ कम कर दिया गया है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा बजट प्रस्तावों से भी काफी स्पष्ट होती है। वास्तव में पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों 243317 करोड़ रुपये) की तुलना में इस वर्ष के बजट में 238,204 करोड़ रुपये का अनुमान ग्रामीण विकास के लिए आवंटन किया है। आबंटन की इस कमी में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा स्पष्ट रूप से सामने आती है। यदि मुद्रस्फीति का हिसाब रखा जाये तो यह ग्रामीण क्षेत्रों के और हाशिए पर जाने का प्रदर्शन करता है जहां आबादी का भारी हिस्सा रहता है।

रोजगार का एक और बड़ा प्रदाता – **MSMEs** नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के रूप में सरकार के जन–विरोधी कदमों के झटके लगातार झेलते रहे हैं। इन उद्योगों की मदद करने की सरकार की कोई योजना ही नहीं है। बजट प्रस्तावों में जो है भी वह इस विशाल क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी में 1 प्रतिशत की कमी और 9000 करोड़ रुपये का प्रतीकात्मक आवंटन है। यह तब है जब जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है जबकि बड़ी संख्या में कार्यबल कार्यरत हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा आरएसएस–भाजपा सरकार की की कभी प्राथमिकता नहीं रही है। पिछले साल के आवंटन की तुलना में शिक्षा को 112,899 करोड़ रुपये मिले हैं जो मुश्किल से मुद्रास्फीति को कवर करते हैं। सरकार द्वारा पिछले वर्ष के आवंटन से 5000 करोड़ रुपये कम खर्च करना सरकार की मंशा को दर्शाता है। स्वास्थ्य का भी कोई बेहतर हाल नहीं है। सरकार पिछले साल के 86606 करोड़ रुपये की तुलना में 88956 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है, जो इस दौरान की मुद्रास्फीति को भी कवर नहीं कर रहा है, इसलिए वास्तव में घटोतरी है। सरकार ने पिछले वर्ष के आवंटन से बहुत कम खर्च किया यानी लगभग 9300 करोड़ रुपये कम खर्च किए। यह फिर से दिखाता करता है कि सरकार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी कम प्राथमिकता है। सरकार सरकार बजट में अधिक आवंटन का श्रेय लेती है, हालांकि वह भी उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है, और वर्ष के दौरान वास्तव में और भी कम खर्च करती है।

सामाजिक क्षेत्र में कटौती का सबसे कमजोर वर्गों को पर असर होगा। खाद्य सब्सिडी में करीब 90 हजार करोड़ रुपये (287194 करोड़ से 197350 करोड़ तक) की कटौती की गई है, जो सरकार की मंशा को दर्शाता है। यह भुखमरी में वृद्धि के बावजूद है जैसा कि भुखमरी सूचकांक पर भारत की गिरती स्थिति से पता चलता है। पीएम पोषण को भी कटौती से नहीं बख्शा; इस वर्ष का बजट आवंटन रु 11600 करोड़ जबकि वर्ष 22–23 के लिए संशोधित अनुमान रु 12800 करोड़ था।

वास्तव में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों आदि के लिए होने वाले अधिकांश व्यय में कटौती की गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि वर्तमान सत्तारूढ़ व्यवस्था के बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के लिए आवंटन में सबसे अधिक कटौती की गई है। इसका आवंटन पिछले साल 1810 करोड़ से घटाकर इस साल महज 530 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सामाजिक क्षेत्र के खर्च में चौतरफा कटौती के अलावा आरएसएस–बीजेपी सरकार ने इससे भी कुछ बुरा किया है। इसने सामाजिक कल्याण उपायों को हथियार बनाया है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि चुनावी उद्देश्यों के लिए योजनाओं का लाभ राजनीतिक रूप से उपयोग किया जाए। बीपीएल कार्ड और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं से नाम हटाने की बार–बार खबरें आती रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशाल नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले आरएसएस कैडर के साथ, और निचले पायदान की मशीनरी सहित सरकार की मशीनरी के हर स्तर पर आरएसएस–बीजेपी की घुसपैठ के जरिये आरएसएस–बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभ केवल उसके समर्थकों तक ही पहुंचे, और जो इसके पक्ष में नहीं हैं, उन्हें लाभार्थियों में से हटा दिया जाए। कई इलाकों से ऐसी खबरें आई हैं और बड़ी संख्या में बहुत सी जगहों से लाभार्थियों के चुनावी इस्तेमाल की रिपोर्टें मिलती रही है।

सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च में कटौती और विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट पर लाभ की बौछार के साथ केन्द्र सरकार यह दिखा रही है कि वह किस दिशा में चल रही है और आगे बढ़ने का इरादा रखती है। और ऐसा उस हालत में किया जा रहा है जब सरकार तीव्र आर्थिक वृद्धि का दावा कर रही है तथा कह रही है कि वह सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद सामाजिक क्षेत्रों में की जा रही कटौती दिखाती है कि सरकार को आम लोगों की चिंता नहीं है और वह केवल धनी तबकों विशेषकर कारपोरेट की पक्षधर है।

सरकार द्वारा आंकड़ों की बाजीगरी यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए है, पर ये न तो गहराते आर्थिक संकट को छिपाने में सक्षम है और न ही यह लोगों की बिगड़ती स्थिति को छिपाने में सक्षम है।

(सी॰पी॰आई॰ (एम–एल) न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी, द्वारा फरवरी 2, 2023 को जारी वक्तव्य। यहां वक्तव्य का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है।)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के प्रकाशन

न्यू डेमोक्रेसी	(अंग्रेजी)
प्रतिरोध का स्वर	(हिन्दी)
न्यू डेमोक्रेसी बुलेटिन	(तेलुगु)
विप्लवी गण लाइन	(बंगला)
इंकलाबी साडा राह	(पंजाबी)
संग्रामी एकता	(ओडिया)

(शेष पृष्ठ 7 पर)

नवांशहर (पंजाब)

राख रोकने की मांग को लेकर नवांशहर वासियों द्वारा तीन घंटे तक पावर प्लांट का घेराव

राख बंद करने की मांग को लेकर लोक संघर्ष मंच के आह्वान पर शहरवासियों ने 24 जनवरी को हुई झमाझम बारिश में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस बैरिकेड तोड़कर कोजेनरेशन पावर प्लांट का घेराव किया। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया परिवार के हैं इसकी कंपनी. सराया इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के पिता सत्यजीत सिंह मजीठिया के नाम से रजिस्टर्ड है और चीनी की फीडिंग पंजाब के बीच होती थी। उस समय पंजाब में अकाली दल बादल और भाजपा की संयुक्त सरकार थी। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया उस सरकार में मंत्री थे। पिछले दो माह से गिर रही खतरनाक राख को स्थाई रूप से बंद करने की मांग को लेकर मंच ने पावर प्लांट का घेराव करने का आह्वान किया। इसकी तैयारी के लिए रैलियां, सभाएं करने के अलावा लोग घर–घर गए और दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया। पावर प्लांट को घेर कर अंदर आने के लिए प्रेरित किया। यह घेराव तीन घंटे तक चलता रहा। इस घेराव में रेहड़ी मजदूर संघ, ऑटो मजदूर संघ, वरिष्ठ नागरिक संघ, आईएफटीयू, एटीसी, एमसी, महिला संगठनों, धार्मिक–सामाजिक–स्वयंसेवी संगठनों व छात्र संगठनों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। लोक संघर्ष मंच नवांशहर को संबोधित करते हुए संयोजक जसबीर दीप, इफ्टू प्रदेश अध्यक्ष कुलविंदर सिंह वड़ैच, गुरबख्श कौर संघा, संयंत्र प्रबंधकों को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो पावर प्लांट प्रबंधकों के निर्देश पर किसानों के एक समूह के नेताओं ने किसानों और शहरवासियों को गुमराह करने की साजिश रची लेकिन किसानों ने हकीकत जानते हुए उनकी साजिश को विफल कर दिया। नेताओं ने कहा कि राख के मुद्दे पर अब शहरवासी खड़े हो गए हैं, जिन्हें न तो दबाया जा सकता है और न ही बहकाया जा सकता है। पावर प्लांट की राख के खिलाफ शहरवासियों का आंदोलन खड़ा है, जो इस संघर्ष को जीतकर ही रुकेगा। जनता के दबाव के चलते एसडीएम नवांशहर को घेराव स्थान पर आना पड़ा जहां मंच के नेताओं ने उनसे तीखे सवाल पूछे। पावर प्लांट में खड़ी धान की पराली से भरी ट्रालियों को यह कहकर पावर प्लांट से बाहर निकाला गया कि क्योंकि डीसी ने 17 जनवरी को पावर प्लांट में गर्मी पैदा करने के लिए पराली की जगह गन्ना खोई जलाने का आदेश जारी किया था, लेकिन पावर प्लांट के प्रबंधक इन आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे थे। राख जलाना बंद करो मांग को लेकर दो घंटे तक बाजार बंद रखा और शहर में धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को मांग पत्र दिया। बार एसोसिएशन नवांशहर के नेतृत्व में वकील हड़ताल पर जाकर इस विरोध का हिस्सा बने।

जम्हूरी अधिकार सभा ने इस पर जांच रिपोर्ट जारी की है, जिसे सभा के

प्रो दिलबाग सिंह, जरनैल सिंह खालसा, सतीश कुमार, बलवीर कुमार, किरणजीत कौर, बलजीत सिंह धर्मकोट, मुकंद लाल, कुलदीप सिंह सुजों, सतनाम सिंह गुलाटी, सोहन सिंह सलेमपुरी, परम सिंह खालसा एमसी, जसवीर कौर एमसी, बलविंदर कौर, डॉ. गुरमिंदर सिंह बडवाल, बिल्ला गुर्जर, बूटा सिंह महमूद पुर, हरमेश दुलेरिया, कमलजीत सनावा, पुनीत केलर ने कहा कि पावर प्लांट की जहरीली राख खतरनाक बीमारियों का कारण बन रही है। शहरवासियों से इसलिए शहर के लोग यह सब चुपचाप सहन नहीं कर सकते। प्रबंधन रोज नए झूठ बना रहा है लेकिन खाक बंद नहीं कर रहा है। प्रशासन बैठकें करता है लेकिन बैठकों के फैसले यह लागू नहीं होता है लेकिन बिजली संयंत्र प्रबंधकों को राख के प्रकोप को फैलाने के लिए अधिक से अधिक समय दिया जा रहा है। वे मूक दर्शक के रूप में जीवन के साथ खेल देख रहे हैं। इस अपराधिक कृत्य के लिए बिजली

प्रदेश कमेटी सदस्य बूटा सिंह महमूदपुर व उनके साथियों ने नवांशहर में पत्रकार वार्ता कर जारी किया।

लोक संघर्ष मंच नवांशहर ने ऐलान किया है कि अगर प्रशासन के वायदे के मुताबिक 17 फरवरी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 21 फरवरी को चंडीगढ़ चौक नवांशहर में जाम लगाया जाएगा।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*

रोहतास (बिहार)

आदिवासी महिला की हत्या के विरोध में नागाटोली में जनसभा

नागा टोली गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए ए.आई.के.एम.एस. महासचिव का. आशीष मित्तल

वन विभाग के आतंक के खिलाफ वन अधिकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जन प्रतिरोध सभा ग्राम नागा टोली में आयोजित हुई, जिसमे दर्जनों गांवों से हजारों की संख्या में लोगो ने भाग लिया, शहीद राजकली को श्रद्धांजलि दी गयी।

सरकार की मंशा है कि इस इलाके में आदिवासी परिवारों को खदेड़कर यहां 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाघ अभ्यारण बनाया जाए। केंद्र की मोदी सरकार धनाढ्य लोगों के मनोरंजन और पर्यटन के लिए देश भर में 553 नए जंगली पशुओं के अभ्यारण बना रही है और इन सभी क्षेत्रों से आदिवासियों के गांव खाली करा रही है।

गत 4 जनवरी को इलाके की 9 आदिवासी महिलाएं जंगल से ईंधन की लकड़ी बटोर कर ला रही थी, तब दो वन दरोगा द्वारा उन्हें खदेड़ जाने के क्रम में राजकली उनके घेरे में आ गई। 2 दिन बाद उनकी लाश एक खाई में मिली और क्रोधित लोगों ने रेंजर ऑफिस घेरकर रेंजर से जवाब मांगा और प्रशासन को मजबूर कर दोनों अपराधियों को जेल भिजवाया तथा परिवार को मुआवजा दिलाया।

तराई व पहाड़ के गांवो से पगडंडियों के रास्ते से टोलियों के साथ आए जत्थे के हाथो में झण्डे व बैनर लिए नारे लगाए शहीद राजकली अमर रहे, वन अधिकार कानून 2006 सख्ती से लागू करो, वन संरक्षण नियम 2022 रद्द करो, गांव सभा की जमीन – वन विभाग से मुक्त कराओ, आदिवासी – वन निवासियों को खेती व आवास के पट्टे दो, आदि।

सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा केंद्र व राज्य की रंग बिरंगी सरकार देश की वन संपदा व श्रम शक्ति को सस्ते दर पर कारपोरेट को सौंपने को लालायित है।

वन क्षेत्र को कारपोरेट को हस्तांतरित करने में को कानूनी अड़चने आ रही है, इसलिए पिछले दरवाजे से उनमें बदलाव कर नया नियम, वन संरक्षण नियम 2022 लाया गया है। अब वन अधिकार कानून 2006 अमल किए बिना ही वनों का हस्तांतरण कंपनियों को कर दिया जाएगा।

वन विभाग द्वारा कब्जा की गयी गांव सभा की जमीनें गांव के गरीबों में वितरित करो।

सभा को मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के महासचिव डा० आशीष मित्तल, भीमलाल, रविनाथ किंडो, धनंजय उरांव, दिनेश उरांव, मनीषा, कौशल्या, आदि ने संबोधित किया। सभा का संचालन कैमूर वन अधिकार संघर्ष मोर्चे के सुरेंद्र उरांव ने किया।

(कैमूर वन अधिकार संघर्ष मोर्चा – कैमुरांचल कमेटी के संयोजक का. सुरेंद्र सिंह द्वारा 4–2–2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति)

कैमूर की घाटियां जंगल में लकड़ी चुनने गई राजकली उरांव के साथ हुए कथित दुराचार और हत्या के लिए इंसाफ मांग रही हैं। रोहतास ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासियों के साथ लगभग रोज यही कहानी दोहराई जाती है।

4 जनवरी को रोहतास जिले के अकबरपुर क्षेत्र के गांव नागा टोली निवासी राजकली उरांव गांव की लगभग दर्जन भर महिलाओं के साथ भुडली माथा जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने के लिए गई थी, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड कैंप के वन रक्षकों और ठेके पर काम करने वाले रक्षकों ने उन्हें गालियां देकर भगाना शुरू किया। अन्य महिलाएं तो भाग कर अपने घर पहुंच गईं, लेकिन राजकली उरांव घर नहीं पहुंच सकी और 2 दिन बाद क्षत–विक्षत अवस्था में उसका शव ही घर पहुंच सका।

असम : बाल विवाह रोकने के नाम पर चलाये जा रहे पुलिस अभियान की प्रमस द्वारा निंदा

प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली असम में बाल विवाह रोकने के नाम पर चलाए जा रहे पुलिस अभियान की कड़ी निंदा करता है। मुख्यमंत्री सरमा के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक 2789 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम कैबिनेट ने असम पुलिस की पीठ थपथपाई है। पुलिस द्वारा लगभग 4135 इस संदर्भ में असम में दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि बाल विवाह कानून 2006 को लागू कर रहे हैं। 14 से नीचे की उम्र की लड़कियों के साथ विवाह करने वाले लोगों को पॉक्सो के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है और 14 से 18 के बीच की उम्र की लड़कियों से विवाह करने वाले आदमियों को बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत केंद्रों में गिरफ्तार कर रखा जा रहा है।

23 जनवरी 2023 से शुरू किए गए इस अभियान से मुख्यमंत्री और असम केबिनेट का मानना है कि बसे बसाए परिवारों को तहस नहस करके बाल विवाह को रोका जा सकता है। दो आत्महत्या के मामले अभी तक सामने आएं हैं। एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी और वह अपने पिता के घर रह रही थी अपने दो बच्चों के साथ। पिता की गिरफ्तारी के डर से इस महिला ने आत्महत्या कर ली। एक अन्य लड़की की शादी अभी हाल ही में होने जा रही थी पिता और पति की गिरफ्तारी के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बड़ी संख्या में महिलाएं अस्थाई जेलों के बाहर रोते बिलखते हुए प्रदर्शन कर रही हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि बाल विवाह करने वालों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी। गरीब असमवासियों के विरुद्ध लक्षित इस अभियान में मुस्लिम बहुल क्षेत्र विशेष निशाने पर हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार कर बंदी बनाए जाने के आंकड़े सामने आ रहे हैं।

बाल विवाह की सामाजिक बुराई को रोकने के नाम पर की जा रही इस अत्यंत क्रूर दमनात्मक कार्रवाई के द्वारा मुख्यमंत्री और असम सरकार का असली मकसद झूठी वाहवाही लूटना है तथा एक सामाजिक समस्या को सांप्रदायिक रंग देकर एक समुदाय को निशाना बनाना है। क्योंकि बाल विवाह रोकने के लिए अति आवश्यक ढांचागत प्रावधानों की सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम तो नहीं उठाए गए हैं। पिछले 8 सालों में जब से भाजपा सरकार का राज है कोई नए अस्पताल नहीं बने हैं। जिला अस्पतालों में बुनियादी जांच सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। महिलाएं अस्पतालों तक समय पर पहुंच सके इसके लिए एंबुलेंस तथा यातायात के कितने नए साधन प्रदान करवाए गए हैं इसकी कोई सूचना मुख्यमंत्री महोदय ने अपने ट्विटर हैंडल पर उस जोश के साथ उपलब्ध नहीं करवाई है जिस जोश के साथ वह लोगों के गिरफ्तार होने की दिन–प्रतिदिन जानकारी दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2014–15 में जो स्थिति थी सेकेंडरी स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की 2019–20 में भी कमोबेश वही दर 31.4 प्रतिशत है जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इस दर को कम करने के लिए नए सरकारी स्कूल तो नहीं बनाए गए हैं बल्कि अगस्त 2022 में कई स्कूलों को आपस में विलय कर स्कूलों की संख्या ही कम कर देने के आदेश दे दिए गए। कितने नए कॉलेज बनाए गए हैं, लड़कियों को स्कूल कॉलेज में शिक्षा को कितना निशुल्क किया गया है, आना जाना कितना सुगम किया गया है इसकी कोई सुनिश्चितता सरमा सरकार ने नहीं की है।

असम सरकार का यह बर्बर अभियान पूरे राज्य में विशेषकर महिलाओं में डर और अस्थिरता की स्थिति बना रहा है। सरमा सरकार के इस अदूरदर्शी, सांप्रदायिक और गरीब विरोधी रवैए के कारण गरीब महिलाएं दर दर भटकने को मजबूर हैं तथा गंभीर आर्थिक और भावनात्मक हालातों से गुजर रहीं है। पूर्व में किए गए अपराध जो कि बहुसंख्यक आबादी को पता भी नहीं कि कोई अपराध किया जा रहा है के तहत इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में डालना बिल्कुल न्यायोचित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश जिसमें बार–बार दोहराया जा रहा है कि लोगों को जेलों में बंद करना बंद किया जाए, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए उसके बावजूद मुख्यमंत्री का यह कदम दर्शाता है कि उन्हें न तो महिलाओं की ही फिक्र है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अमल की परवाह है और ना ही भारत की राष्ट्रपति द्वारा लगातार जेलों में बंदियों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में व्यक्त की गई चिंता की कोई फिक्र है।

प्रगतिशील महिला संगठन असम सरकार से मांग करता है कि इस पुलिस अभियान को अविलंब वापस लिया जाए। बाल विवाह रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाए। प्रगतिशील महिला संगठन गुवहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से भी अनुरोध करता है कि पूरे मामले का स्व संज्ञान लेते हुए गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों के मामले रिहा करने के आदेश दें और इस संदर्भ में दर्ज मामलों को रद्द करने के आदेश दिए जाए।

(प्रमस की ओर से अध्यक्ष शोभा तथा महासचिव पूनम द्वारा 12.2.23 को जारी)

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के जारी आंदोलनों का इफ्टू द्वारा समर्थन

19 फरवरी को पंचकुला–चंडीगढ़ बॉर्डर पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा के हजारों सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री के निवास का घेराव कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग करने के लिए एकत्रित हुए थे। वहां आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का प्रयोग कर पुलिस ने उन्हें बर्बरतापूर्वक खदेड़ा जिसकी इफ्टू की नेशनल कमेटी कड़ी निन्दा करती है।

सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कई राज्यों के कर्मचारियों और रेलवे व अन्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा भी उठाई जा रही है। ये एक चुनावी मुद्दा भी बन चुका है और हाल में हुए हिमाचल प्रदेश चुनाव में भाजपा की हार में इसका भी योगदान रहा है। हिमाचल की नई सरकार के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब की सरकारों ने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने घोषणा की है।

नई पेंशन योजना वाजपाई नेतृत्वाधीन भाजपा की राजग की केंद्र सरकार द्वारा 2004 से नए भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों (सेना को छोड़कर) के लिए लागू की गई थी। उससे पूर्व भर्ती हुए कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू रही है।

पुरानी योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा पेंशन की इस राशि पर हर 6 माह महंगाई भत्ता मिलता है अर्थात महंगाई के अनुसार पेंशन की कुल राशि बढ़ती रहती है। कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड सिंगल अर्थात केवल उसके वेतन से कटा हुआ हिस्सा मिलता है और सरकार द्वारा प्रोविडेंट फंड में कोई योगदान नहीं होता है। सरकार पेंशन के लिए कोई फंड नहीं बनाती है और पेंशन का खर्च सरकारी खजाने से सालाना बजट के अंतर्गत आता है।

नई योजना में कर्मचारी के वेतन से हर महीने कुछ पैसा कटता है और राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारी के खाते में जमा होता है और उतनी ही राशि सरकार द्वारा भी कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है और उस पर ब्याज भी जमा होते जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी कुछ राशि एकमुश्त निकाल सकता है और बाकी राशि जमा रहेगी और कर्मचारी को एक निर्धारित राशि पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। जाहिर है ये पेंशन की राशि साल दर साल उतनी ही रहेगी चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए। देखा जाए तो एक तरह से ये मजदूरों को मिलने वाली PF (भविष्य निधि) की पेंशन की तरह ही है जिसमे PF के मालिक के योगदान में से 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड में जमा रहता है और उसमे से पेंशन मिलती है जो रिटायर होने से लेकर मौत होने तक एक पैसा भी नहीं बढ़ती।

मोदी सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से कहलवा रही है की पुरानी पेंशन योजना का आर्थिक भार सरकारें झेल नहीं पाएंगी। पर वो ये नहीं बताते की सरकारों ने कितनी नियमित नौकरियां इतने सालों में समाप्त की हैं और आउटसोर्सिंग, स्कीम एवम् ठेका कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है जिन्हे पेंशन देने के लिए कोई पैसा सरकार को नहीं खर्च करना पड़ रहा है।

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की रेलवे मजदूरों और केंद्र व राज्य सरकारों के अन्य सरकारी कर्मचारियों की मांग पूर्णतः जायज है और इफ्टू इसका समर्थन करती आ रही है और वर्तमान में इस मांग के लिए जारी आंदोलनों का भी समर्थन करती है।

(इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की नेशनल कमेटी द्वारा 20 फरवरी 2023 को जारी बयान)

पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग विभिन्न केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा सभी सरकारी निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की एक मुख्य मांग के रूप में उभर रही है तथा इस पर सरकारी कर्मचारियों के संगठन संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए संगठनों के संयुक्त कमेटियों का गठन किया जा रहा है। जहां पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हुई है वहां यह मांग शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप लेगी।

का. एस.एन.सिंह की जन्मशती पर कार्यक्रम

(पृष्ठ 3 का शेष)
खानी (तेलंगाना) में एक सभा आयोजित की गई जिसे का. जे.वी. चलपतिराव सहित पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। 30 जनवरी को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में जंगारेड्डीगुडेम में एक सभा आयोजित की गई जिसे पार्टी के राज्य तथा जिला नेताओं ने संबोधित किया। 31 जनवरी 2023 को आंध्रप्रदेश के विशाखपटनम में का. एस. एन. सिंह की स्मृति में सभा को आयोजन किया गया जिसे पार्टी के अन्य नेताओं के साथ–साथ सी.पी.आई.(एम–एल)– न्यू डेमोक्रेसी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य का. वाई. संबासिवा राव ने भी संबोधित किया।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार